संख्या-20/2018/584/क.नि.प्र./26-3-2018-18(64)98

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल,2018
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में होने वाले व्यय को वहन करने के लिए निम्नवत् तालिका में उल्लिखित विभिन्न मानक मदों के सम्मुख कालम-2 में अंकित कुल धनराशि रू0 36,95,000.00 (छत्तीस लाख पचानबे हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2
01-वेतन	11,00,000.00
03-मंहगाई भत्ता	50,000.00
04-यात्रा व्यय	40,000.00
06-अन्य भत्ते	1,00,000.00
07-मानदेय	20,000.00

....2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2
08-कार्यालय व्यय	75,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	50,000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,000.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000.00
18-प्रकाशन	5,00,000.00
42-अन्य व्यय	2,00,000.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	40,000.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000.00
49-चिकित्सा व्यय	2,00,000.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	1,00,000.00
योग-	36,95,000.00

(रू0 छत्तीस लाख पचानबे हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0-के.) की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के भाग-1 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

....3..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-20/2018/584(1)/क.नि.प्र./26-3-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

7- सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- एन.आई.सी. की प्रति।

9- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण, उ.प्र. शासन।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)
पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– व नाम– 83 व अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2018–19 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0106– उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजना में अनुदान (100 प्रतिशत भारत सरकार.) –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10000.00	36.95	36.95	36.95	9963.05
योग	10000.00	36.95	36.95	36.95	9963.05

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान /विनियोग(8+10)
7	8	9	10	11	12
2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0109– सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–					
01–वेतन	00	11.00	11.00	11.00	11.00
03–मंहगाई भत्ता	00	0.50	0.50	0.50	0.50
04–यात्रा व्यय	00	0.40	0.40	0.40	0.40
06–अन्य भत्ते	00	1.00	1.00	1.00	1.00
07–मानदेय	00	0.20	0.20	0.20	0.20
08–कार्यालय व्यय	00	0.75	0.75	0.75	0.75
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	00	0.50	0.50	0.50	0.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	00	0.20	0.20	0.20	0.20
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	00	8.00	8.00	8.00	8.00
18– प्रकाशन	00	5.00	5.00	5.00	5.00
42– अन्य व्यय	00	2.00	2.00	2.00	2.00

... 2..

7	8	9	10	11	12
45– अवकाश यात्रा व्यय	00	0.40	0.40	0.40	0.40
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	00	2.00	2.00	2.00	2.00
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	00	2.00	2.00	2.00	2.00
49– चिकित्सा व्यय	00	2.00	2.00	2.00	2.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	00	1.00	1.00	1.00	1.00
योग–	00	**36.95**	**36.95**	**36.95**	**36.95**

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–कार्यालय संचालन विभिन्न मदों में आवश्यक धनराशि का प्रावधान न हो पाने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या–आर.ई. 04 /दस–2018 दि0 25 अप्रैल,2018

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

संख्या– 20/2018/584(II)/क0नि0प्र0/26–3–2018–दिनांक 25 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– आहरण एवं वितरण अधिकारी,समाज कल्याण विभाग.उ0प्र0 शासन।
5– अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)/वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
7– समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ,उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।